भारतीय संसद

राज्य सभा और उसका सचिवालय

कार्य-निष्पादन विवरण - 2017

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली
अक्तूबर 2018

फा.सं.आर.एस.2/1/2018-पी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.

© 2018 राज्य सभा सचिवालय

राज्य सभा वेबसाइट :

http://parliamentofindia.nic.in
http://rajyasabha.nic.in
E-mail: rsrlib@sansad.nic.in

आमुख

इस प्रकाशन में वर्ष 2017 के दौरान राज्य सभा, उसकी समितियों और राज्य सभा सचिवालय द्वारा किए गए कार्य के बारे में संक्षिप्त सूचना प्रस्तुत की गई है। इसका आशय पाठकों को राज्य सभा के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना है।

मुझे आशा है कि संसद सदस्य और संसद की कार्य-प्रणाली को जानने के इच्छुक व्यक्ति यह पाएंगे कि यह प्रकाशन सूचनापरक और उपयोगी है।

नई दिल्ली;
अक्तूबर, 2018

देश दीपक वर्मा
महासचिव,राज्य सभा।

विषय-सूची

पृष्ठ

1. कार्यरत सभा

(i) प्रश्न काल..... 8

(ii) विधायी कार्य..... 8-9

(iii) मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा..... 9

(iv) अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा 9

(v) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प 9

(vi) परिनियत संकल्प 10

(vii) सरकारी संकल्प 10

(viii) नियम 168 के तहत प्रस्ताव (अनियत दिन वाला प्रस्ताव) 10

(ix) विशेषाधिकार के मामले..... 10

(x) भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति को बधाइयाँ 11-12

(xi) संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रस्ताव 12

(xii) 242वें, 243वें और 244वें सत्रों के दौरान विभिन्न मदों पर राज्य सभा द्वारा लिया गया समय 13-15

2. समितियां 16-17

3. नई पहलें

(i) कम्प्यूटरीकरण और ई-गवर्नेस संबंधी पहलें 18-19

(ii) संसद सदस्य सुविधा अनुभागः नार्थ/साउथ एवेन्यू में स्थित सांसदों के फ्लैटों का पुनः विकास.. 19-20

(iii) विभाग-संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समितिः वैज्ञानिक नवप्रयोगों पर प्रदर्शनी 20

(iv) आचार समितिः आस्तियों और देयताओं की घोषणा हेतु, ऑन लाइन तंत्र के लिए अनुमोदन ... 20

(v) समिति अनुभाग (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना): एम.पी.लैडस दिशानिर्देशों की ई-प्रति 20

(vi) समिति समन्वय अनुभागः समितियों के संबंध में सूचना का डिजिटल प्रदर्शन 20

(vii) पुस्तकालय, संदर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस): राज्य सभा के नए सभापति के संबंध में प्रकाशन 20

(viii) शब्दशः वृत्तलेखन सेवाः वाद-विवादों का सूचक..... 20

(ix) प्रशिक्षण प्रकोष्ठः कर्मचारियों का कौशल संवर्द्धन..... 21

4. संसद और जनता

(i) आर.टी.आई. प्रकोष्ठ 22-23

5. अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अंतर-संसदीय संवाद

(i) भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों के विदेशी दौरे 24-25

(ii) विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों का भारत दौरा 25-26

6. सचिवालय 27

उपाबंध

I. 2017 के दौरान राज्य सभा द्वारा पारित/लौटाए गए/लौटाए माने गए विधेयक.... 28-31

II. 2017 के दौरान राज्य सभा में अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों पर ध्यान दिलाए जाने की सूचनाएं 32

III. 2017 के दौरान राज्य सभा में आयोजित अल्पकालिक चर्चा (नियम 176 के अधीन चर्चा) 33

IV. 2017 के दौरान राज्य सभा में विचारार्थ लिए जाने हेतु स्वीकृत परिनियत संकल्प.... 34

V. 2017 के दौरान राज्य सभा में विचारार्थ लिए जाने हेतु स्वीकृत सरकारी संकल्प..... 35

VI. 2017 के दौरान राज्य सभा की समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन..... 36-40

राज्य सभा के अधिकारीगण

श्री एम. वेंकैया नायडु
माननीय सभापति, राज्य सभा

श्री हरिवंश
माननीय उपसभापति, राज्य सभा

श्री देश दीपक वर्मा
महासचिव, राज्य सभा

1

कार्यरत सभा

वर्ष 2017 में राज्य सभा की 57 बैठकें हुईं- 242वें सत्र के दौरान 29 दिन, 243वें सत्र के दौरान 19 दिन तथा 244वें सत्र के दौरान 9 दिन। लेकिन, 244वां सत्र 5 जनवरी 2018 तक जारी रहा। अतः, 244वें सत्र* जो 2018 तक चलता रहा, के 4 दिन शामिल करते हुए वर्ष 2017 के तीन सत्रों के दौरान सभा की कार्यवाही कुल 61 दिनों तक चली। तद्नुसार इन तीन सत्रों के दौरान, सभा ने 258 घंटों और 10 मिनट के लिए बैठकें की। इसके अलावा, बाधाओं के कारण सभा की कार्रवाई को 72 घंटों और 45 मिनटों के लिए स्थगित करना पड़ा। तथापि, सभा में देर तक काम करके या दोपहर भोजन/मध्यावकाश आदि के दौरान काम करके इसमें से 17 घंटे 1 मिनट की हानि को पूरा कर लिया गया।

सत्र 2017	आमंत्रण/पुनः आरम्भ की तारीख	आरम्भ होने की तारीख	बैठकों की संख्या	समापन की तारीख (अनियत तारीख के लिए स्थगन)	सत्रावसान की तारीख	बैठकों का वास्तविक समय (घंटे-मिनट)
242वां	6 जनवरी 2017	31 जनवरी 2017	29	12 अप्रैल 2017	12 अप्रैल 2017	136 - 18
243वां	27 जून 2017	17 जुलाई 2017	19	11 अगस्त 2017	12 अगस्त 2017	81 - 03
244वां	25 नवम्बर 2017	15 दिसम्बर 2017	13	5 जनवरी 2018	5 जनवरी 2018	40 - 59

राज्य सभा के 242वें सत्र (बजट सत्र) के लिए आमंत्रण 6 जनवरी 2017 को जारी किए गए। इस सत्र का आयोजन दो हिस्सों में किया गया, अर्थात 31 जनवरी 2017 से 9 फरवरी 2017 तक तथा 9 मार्च 2017 से 12 अप्रैल 2017 तक। सत्र का पहला हिस्सा, जिसकी शुरूआत 31 जनवरी 2017 को हुई थी, वह 9 फरवरी 2017 को स्थगित हुआ। सत्र के दूसरे भाग के लिए सभा 9 मार्च 2017 को पुनः समवेत हुई तथा 12 अप्रैल 2017 को अनियत तिथि के लिए स्थगित हुई। चूँकि यह 2017 का पहला सत्र था, इसलिए राष्ट्रपति ने 31 जनवरी 2017 को केन्द्रीय कक्ष में समवेत् संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों को संबोधित किया। राज्य सभा के 243वें सत्र के लिए आमंत्रण 27 जून, 2017 को जारी किया गया। 243वें सत्र का आरम्भ 17 जुलाई 2017 को हुआ तथा यह 11 अगस्त 2017 को अनियत तिथि के लिए स्थगित हुआ। राष्ट्रपति द्वारा 12 अगस्त 2017 को सभा का सत्रावसान किया गया। राज्य सभा के 244वें सत्र के लिए आमंत्रण 25 नवम्बर 2017 को जारी किए गए। 244वें सत्र का आरम्भ 15 दिसम्बर 2017 को हुआ तथा 5 जनवरी 2018 को सभा अनियत तिथि के लिए स्थगित हुई। राष्ट्रपति द्वारा 5 जनवरी 2018 को सभा का सत्रावसान किया गया।

कुल मिलाकर, तीन सत्रों के दौरान सभा के कार्यों के संबंध में 180 कार्यावलियों को जारी किया गया। कुल मिलाकर 6165 पत्र तथा विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों सहित विभिन्न समितियों के 376 प्रतिवेदनों तथा वक्तव्यों को सभा पटल पर रखा गया।

242वें, 243वें तथा 244वें सत्र के दौरान सदस्यों की औसत उपस्थिति क्रमशः 160, 180 तथा 168 थी। इन सत्रों के दौरान किसी एक कार्य-दिवस पर सदस्यों की सर्वाधिक उपस्थिति क्रमशः 178, 197 तथा 196 थी।

2 जनवरी, 2018 को प्रश्न काल के दौरान सभा द्वारा उल्लेखनीय निष्पादन के संबंध में माननीय सभापति द्वारा अपने विदाई उद्गार में किया गया उल्लेख

5 जनवरी, 2018 को 244वें सत्र के समापन पर, माननीय सभापति ने अपने विदाई उद्गार में संसद में होने वाले व्यवधानों के कारण सभा के कार्य के समय को खोने के संबंध में आत्मावलोकन करने का अनुरोध करते हुए, इस बात पर गहरा संतोष व्यक्त किया कि 2 जनवरी 2018 को समस्त सूचीबद्ध प्रश्नों पर कार्यवाही पूरी हुई। उन्होंने कहा कि, 'मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि वर्ष के आरंभ में ही तथा 15 वर्षों की लंबी अवधि के बाद, 2 जनवरी, 2018 को समस्त सूचीबद्ध प्रश्नों पर कार्यवाही पूरी करके सभा द्वारा रिकार्ड बनाए जाने के संबंध में प्रकाशित सकारात्मक मीडिया रिपोर्टों को लेकर सभा के सभी दलों के नेता तथा माननीय सदस्य खुश थे। मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि इस उल्लेखनीय निष्पादन के साथ-साथ इस महती सभा में होने वाले कार्य के तरीके में कुछ सीमा तक परिवर्तन हुए हैं। समय की मांग है कि इस भावना को भविष्य में भी बनाए रखा जाए।'

*चूंकि 244वां सत्र 5 जनवरी, 2018 को समाप्त हुआ, इसलिए उक्त प्रकाशन में सत्रों से संबंधित इस तारीख तक की सभी सूचनाएं सम्मिलित की गई है।

सभा तथा इसकी समितियों की कार्यवाही का हिन्दी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिन्दी में युगपत् भाषांतरण किया जाता है। बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू का अंग्रेजी/हिंदी में युगपत् भाषांतरण की भी व्यवस्था है। अनुरोध किए जाने पर सम्मेलनों और विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के युगपत् भाषान्तरण की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

वर्ष 2017 के दौरान राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत विधेयकों से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं।:

• वर्ष 2017 के तीन सत्रों के दौरान हुई कुल 61 बैठकों में से उन बैठकों की संख्या जिनके दौरान सरकारी विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, पुरःस्थापित किए गए, उन पर विचार किया गया अथवा उन्हें सभा पटल पर रखा गया/उन पर प्रतिवेदन दिया गया	40
• उन बैठकों की संख्या जिनके दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित किए गए अथवा उन पर विचार किया गया	08
• पुरःस्थापित सरकारी विधेयकों की संख्या	00
• पुरःस्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की संख्या	65
• वर्ष के दौरान वापस लिए गए/अस्वीकृत सरकारी विधेयकों की संख्या	05
• अस्वीकृत सरकारी विधेयकों की संख्या	00
• पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की संख्या	00
• गैर-सरकारी सदस्यों के वापस लिए गए विधेयकों की संख्या	06
• गैर-सरकारी सदस्यों के अस्वीकृत विधेयकों की संख्या	01
• गैर-सरकारी विधेयकों की संख्या जिस पर वाद-विवाद स्थगित/ समाप्त किया गया	00
• लोक सभा द्वारा भेजे गए सरकारी विधेयकों की संख्या	49
• लोक सभा द्वारा संशोधनों के साथ भेजे गए सरकारी विधेयकों की संख्या	02
• राज्य सभा में पहले पेश किए गए और भेजे गए सरकारी विधेयकों की संख्या	01
• राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ भेजे गए सरकारी विधेयकों की संख्या	06
• राज्य सभा द्वारा पुरःस्थापित तथा विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों को भेजे गए सरकारी विधेयकों की संख्या	00
• राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजे गए विधेयकों की संख्या	02
• राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयकों की संख्या	02
• संसद की सभाओं की संयुक्त समितियों को भेजे गए विधेयकों की संख्या	01
• संसद की सभाओं की संयुक्त समितियों द्वारा प्रतिवेदित विधेयकों की संख्या	00
• विचार किए गए सरकारी विधेयकों की संख्या	34*
• पारित/लौटाए गए और पारित माने गए सरकारी विधेयकों की संख्या	45#
• वर्ष के प्रारंभ में लंबित सरकारी विधेयकों की संख्या	40
• वर्ष के अंत में लंबित सरकारी विधेयकों की संख्या	39
• वर्ष के प्रारंभ में गैर-सरकारी सदस्यों के लंबित विधेयकों की संख्या	121
• वर्ष के अंत में गैर-सरकारी सदस्यों के लंबित विधेयकों की संख्या	152
• संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या	44
• उन विधेयकों की संख्या जिन पर राज्य सभा सचिवालय द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की गई	19

*34 विधेयकों में से, 33 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है और 1 विधेयक, नामतः संविधान *(एक सौ तेईसवां संशोधन)* विधेयक, 2017, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, जिसे संशोधनों के साथ राज्य सभा द्वारा पारित किया गया और लोक सभा को लौटाया गया, वह लोक सभा में लंबित है।

*# 45 विधेयकों में से, संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अंतर्गत संसद की दोनों सभाओं द्वारा 11 विधेयक पारित माने गए और 1 विधेयक, नामतः संविधान *(एक सौ तेईसवां संशोधन)* विधेयक, 2017, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, जिसे संशोधनों के साथ राज्य सभा द्वारा पारित किया गया और लोक सभा को लौटाया गया, वह लोक सभा में लंबित है।

प्रश्न काल

प्रत्येक बैठक के दूसरे घंटे में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इस घंटे के दौरान सदस्य सभा में सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। वस्तुतः सदस्यों द्वारा प्रश्नों का उपयोग ऐसी युक्ति के रूप में किया जाता है जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के निष्पादन की समालोचनात्मक समीक्षा करते हैं, सरकार के कार्यक्रमों तथा नीतियों के प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं और विभिन्न मामलों पर लोक शिकायतों को प्रकट करते हैं। 2017 के तीन सत्रों के दौरान, तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों की कुल 26511 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 10,838 गृहीत हुई और 1730 सूचनाओं को एक साथ मिलाकर गृहीत किया गया। इनमें से 930 प्रश्न तारांकित प्रश्नों के रूप में सूचीबद्ध हुए तथा 236 प्रश्नों, अर्थात् लगभग 25% प्रश्नों के सभा में मौखिक उत्तर दिए गए। इसके अलावा, मंत्रियों ने राज्य सभा प्रश्नों के अपने दिए गए उत्तरों के संशोधनार्थ 9 वक्तव्य दिए या सभा पटल पर रखे। अल्प- सूचना प्रश्नों के संबंध में, 2 सूचनाएं प्राप्त हुईं तथा उनमें से कोई भी गृहीत नहीं हुई। इसके अलावा, तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों से उत्पन्न होने वाली आधे घंटे की चर्चा के लिए 7 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 1 गृहीत हुई, लेकिन उस पर सभा में चर्चा नहीं की गई।

विधायी कार्य

वर्ष 2017 में, राज्य सभा के तीन सत्रों, नामतः 242वें, 243वें और 244वें सत्र के दौरान इकसठ (61) बैठकों का आयोजन किया गया। 61 बैठकों में से सभा ने सरकारी विधान कार्य और गैर-सरकारी विधान कार्य क्रमशः चालीस (40) तथा आठ (8) बैठकों में किए। वर्ष के दौरान किसी भी सरकारी विधेयक को पुरः स्थापित नहीं किया गया, जबकि पांच (5) विधेयक जिन्हें वर्ष 2017 से पहले पुरः स्थापित किया गया था तथा जो राज्य सभा में लंबित थे, उन्हें वर्ष के दौरान वापस लिया गया। तीन (3) विधेयक जिन्हें पहले राज्य सभा में पेश किया गया था (जिन्हें वर्ष 2017 में पुरःस्थापित नहीं किया गया था) पर भी विचार किया गया तथा वर्ष के दौरान उन्हें पारित किया गया। गैर-सरकारी सदस्यों के पैंसठ (65) विधेयक राज्य सभा में पुरः स्थापित किए गए, सात (7) पर विचार किया गया, जिनमें से छः (6) को वापस ले लिया गया। कुल मिलाकर,

2017 के दौरान राज्य सभा द्वारा चवालीस (44) विधेयक (*उपाबंध I*) पारित किए गए/लौटाए गए/ राज्य सभा द्वारा पारित माने गए।

मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा

वर्ष 2017 के दौरान, रेल मंत्रालय के कार्यकरण पर 23.03.2017, 29.03.2017 तथा 30.03.2017 को चर्चा की गई।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा

सभा में सदस्यों द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों को उठाने के लिए 'ध्यानाकर्षण' तथा 'अल्पकालिक चर्चा' जैसी प्रक्रियात्मक युक्तियों का उपयोग किया गया। इनके अतिरिक्त, सदस्यों द्वारा 'विशेष उल्लेख' तथा 'गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों' के माध्यम से लोक महत्व के विषय उठाए गए। सदस्यों द्वारा ' सभापति की अनुमति से उठाए गए मामलों' (शून्य काल में उठाए गए मामले) के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों को उठाया गया। 'सभापति की अनुमति से उठाए गए मामलों' के लिए सदस्यों द्वारा दी गई 1505 सूचनाओं में से, 333 मामलों को उठाए जाने की अनुमति दी गई। वर्ष के दौरान, समस्त 213 लोक महत्व के विषयों का 'विशेष उल्लेख' के माध्यम से सदन में उल्लेख किया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों से संबंधित सत्तर (70)' ध्यानाकर्षण' सूचनाएं प्राप्त की गईं जिसमें से 4 को स्वीकार किया गया। तथापि, चर्चा के लिए तीन (3) ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर ही चर्चा की जा सकी (*उपाबंध II*)। श्री ए.यू. सिंह दिव, संसद सदस्य द्वारा 'छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महानदी नदी पर बराज तथा चेक बांध के निर्माण के कारण उत्पन्न स्थिति' से संबंधित सूचना को गृहीत किया गया लेकिन उस पर चर्चा नहीं की जा सकी।

इसके अलावा, 'अल्पकालिक चर्चा' की 99 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें से सात (7) सूचनाओं को गृहीत किया गया तथा सभा में उन पर चर्चा की गई (*उपाबंध III*)। *श्री* सचिन रमेश तेंदुलकर, संसद सदस्य द्वारा 'खेलने का अधिकार तथा भारत में खेलों का भविष्य' विषय पर अल्पकालिक चर्चा की दी गई सूचना को 21.12.2017 को गृहीत किया गया लेकिन सभा में बार-बार होने वाली बाधाओं के कारण इस पर चर्चा नहीं की जा सकी।

बजट (सामान्य) तथा बजट (रेल) को सामान्य बजट के रूप में आमेलित करना तथा संसद में इसके प्रस्तुतीकरण को एक महीना आगे किया जाना

बजट सत्र के दौरान एक ऐतिहासिक महत्व की घटना हुई जब सामान्य तथा रेल बजटों को पहली बार आमेलित किया गया तथा इसे लोक सभा में बजट (सामान्य) 2017-18 के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे 1 फरवरी 2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया, और इस प्रकार, फरवरी के अंत में बजट प्रस्तुत करने की पुरानी औपनिवेशिक काल अभिसमय/परम्परा को हटा दिया गया। केन्द्रीय बजट को पूर्व की परिपाटी के अनुसार 28 फरवरी को प्रस्तुत करने के स्थान पर, उससे लगभग एक महीने पहले प्रस्तुत किया गया। इसलिए, 2017 के बजट सत्र की शुरूआत 31 जनवरी 2017 को हुई तथा अनियत काल के लिए इसका सत्रावसान 12 अप्रैल 2017 को किया गया।

जैसाकि ऊपर उल्लिखित किया गया है, इससे पहले संसद में बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता था तथा सत्र मध्य मई तक चलता रहता था। इस अवधि के दौरान, बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा की जाती थी और संसद द्वारा उन्हें पारित किया जाता था। इसलिए पूर्ण बजटीय प्रस्ताव नए वित्तीय वर्ष, जिसकी शुरूआत 1 अप्रैल से होती थी, मई या जून से ही प्रभावी होते थे, जिससे प्रस्तावित स्कीमों और आवंटनों में देरी होती थी। दो महीनों (अप्रैल और मई) के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों के व्यय को कवर करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 116 के अंतर्गत यथाउपबन्धित रूप से लेखानुदान को मार्च में संसद द्वारा पारित किया जाता था, ताकि केन्द्रीय मंत्रालयों को अपने कार्यकलाप बनाए रखने/जारी रखने के लिए आवंटित धनराशि में एक हिस्सा दिया जा सके। इसलिए, बजटीय प्रस्तावों और आवंटनों के विधायी अनुमोदन को समय पर पूरा करने के लिए, यह निर्णय किया गया कि बजट को 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाए ताकि वे वित्तीय वर्ष के आरम्भ से ही पूर्णतया प्रभावी हो सकें और इस प्रकार बजट सत्र को एक महीना पहले आयोजित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

242वें सत्र के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के पांच (5) संकल्पों को गृहीत किया गया तथा उनमें से दो पर चर्चा की गई। श्री तिरूची शिवा, संसद सदस्य द्वारा 'पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960' में संशोधन की आवश्यकता के संबंध में संकल्प उपस्थित किया गया और सभा की अनुमति से उसे वापस लिया गया। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, संसद सदस्य द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास की आवश्यकता के संबंध में संकल्प उपस्थित किया गया। उस पर चर्चा पूर्ण नहीं हुई तथा दूसरे संकल्पों के साथ यह व्यवपगत हो गया क्योंकि इसे अगले सत्र में ले जाने के लिए सभा की इच्छा प्राप्त नहीं की जा सकी। 243वें तथा 244वें सत्रों के दौरान, किसी भी सूचीबद्ध संकल्प पर कार्य नहीं किया जा सका और इसलिए, सत्रों के सत्रावसान के साथ वे सभी व्यवपगत हो गए।

परिनियत संकल्प

वर्ष के दौरान सांविधिक संकल्पों की दस (10) सूचनाएं प्राप्त हुईं और निपटाई गईं। इनमें से चार (4) संकल्प स्वीकृत किए गए, तीन (3) अस्वीकृत हुए, एक (1) संकल्प वापस लिया गया और दो (2) संकल्प उपस्थित नहीं किए जा सके। (*उपाबंध-IV*)

सरकारी संकल्प

वर्ष के दौरान सरकारी संकल्पों की पांच (5) सूचनाएं प्राप्त हुईं तथा निपटाई गईं *(उपाबंध-V)*। ये सूचनाएं गृहीत की गईं; यद्यपि, इनमें से किसी को भी उपस्थित नहीं किया जा सका।

नियम 168 के अंतर्गत प्रस्ताव (अनियत दिन वाले प्रस्ताव)

वर्ष 2017 के दौरान कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 8 गृहीत की गईं। बहरहाल, स्वीकृत किए गए प्रस्तावों में से किसी को भी सभा में चर्चा के लिए नहीं लिया जा सका।

विशेषाधिकार के मामले

वर्ष 2017 के दौरान विशेषाधिकार हनन तथा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में चौबीस (24) सूचनाएं प्राप्त हुईं जिन पर कार्यवाई तथा जांच हुई। वर्ष 2017 के दौरान विशेषाधिकार समिति की दो (2) बैठकें हुईं।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सी एन्ड ए जी) के प्रतिवेदन को सभा के पटल पर रखे जाने से पूर्व ही इसके कथित रूप से प्रकटन से उठे विशेषाधिकार हनन के मामले के संबंध में समिति ने दिनांक 25.07.2017 को सभा में अपना पैंसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है:

> *....संविधान के अनुच्छेद 151 के अधिदेश के मद्देनजर समिति महसूस करती है कि संसद सदस्यों को किसी से भी पहले 'कैग' के प्रतिवेदनों तक पहुंच का अधिकार सर्वोपरि है। समिति का विचार है कि 'कैग' प्रतिवेदन की अंतर्वस्तु की सभा के समक्ष प्रस्तुति से पूर्व इसका किसी भी प्रकार का समयपूर्व प्रकटीकरण, यद्यपि तकनीकी रूप से सभा के विशेषाधिकार का हनन नहीं है, तथापि एक गंभीर मामला है और अनुचित कार्य है। इसलिए, इन प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखे जाने से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं कराना चाहिए।..... इसलिए समिति सिफारिश करती है कि 'कैग' के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से संबंधित विनियम/स्थायी आदेशों/निर्देशों और इनके अनुपालन तंत्र को, समूची प्रक्रिया को कठोर बनाए रखने तथा संसद के प्रत्येक सदन में इनके रखे जाने से पहले प्रारूप प्रतिवेदन या अंतिम प्रतिवेदन के समय पूर्व प्रकटन को रोकने के लिए और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।*

भारत छोड़ो आन्दोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वीकृत संकल्प

9 अगस्त, 2017 को भारत छोड़ो आन्दोलन की 75वीं वर्षगांठ पर माननीय सभापति ने निम्नलिखित संकल्प उपस्थित किया:-

"यह सभा इस बात का स्मरण करती है कि पचहत्तर वर्ष पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से 'भारत छोड़ने' की मांग की थी और अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता से 'करो या मरों' का आह्वाहन किया था; 'भारत छोड़ों आंदोलन' की 75वीं वर्षगाँठ पर यह समुक्ति करती है कि उन भारतीयों, जिनमें विद्यार्थी, किसान, महिलाएं, कामगार और सरकारी अधिकारी शामिल हैं, के वीरतापूर्ण संघर्ष् को याद करना महत्वपूर्ण है जिन्होंने अंग्रेजी शासन की नृशंस दमनकारी नीतियों की परवाह न करते हुए व्यापक सत्याग्रह आरंभ किया और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दीं; इस बात को स्वीकार करती है कि यह अवसर हमारे लाखों लोगों द्वारा दिए गए बलिदानों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने और भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हज़ारों भारतीयों की स्मृति को नमन करने का अवसर है; और इस दिन सत्यनिष्ठा से स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों और आदर्शों की सुरक्षा करने और उन्हें बनाये रखने तथा एक सशक्त, आत्म-निर्भर, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतान्त्रिक भारत का निर्माण करने के लिए स्वयं को पुन:समर्पित करने की प्रतिज्ञा करती है।"

सभा द्वारा संकल्प सर्वसम्मति को स्वीकृत हुआ।

भारत के उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति को बधाइयाँ

5 अगस्त, 2017 को श्री एम. वेंकैया नायडु भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए जो कि राज्य सभा के पदेन सभापति भी हैं। दिनांक 11 अगस्त, 2017 को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और पहली बार राज्य सभा की अध्यक्षता की। माननीय प्रधान मंत्री, माननीय सभा के नेता, माननीय विपक्ष के नेता, माननीय उपसभापति, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं तथा सभा के कुछ सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उपराष्ट्रपति को बधाई देते हुए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि श्री एम. वेंकैया नायडु जी पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है और जिन्हें सभा के कार्यकरण, इसकी समितियों तथा इसकी प्रक्रियाओं के संबध में व्यापक अनुभव है। श्री नायडु जी की मेहनत, समर्पण तथा वाक्पटुता की तारीफ करते हुए प्रधान मंत्री जी ने आशा व्यक्त की कि श्री नायडु जी उपराष्ट्रपति के कार्यालय तथा राज्य सभा के सभापति पद की गरिमा बनाए रखेंगे। श्री नायडु जी को बधाइयां देते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने उनके सादगीपूर्ण जीवन से भारत के उपराष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर पहुंचने तक की अभूतपूर्व ऊंचाईयां छूने के लिए उनका अभिवादन किया। विधायी तथा संसदीय कार्य में उनके व्यापक अनुभव को स्वीकारते हुए सदस्यों ने आशा व्यक्त की कि श्री नायडु जी लोक महत्व के मुद्दे उठाने तथा सरकारी कार्य के लिए समय आबंटित करने की जरूरत के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखेंगे जिससे सभा का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी आशा और विश्वास व्यक्त किया कि उनके सुयोग्य नेतृत्व में इस महती सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा और बढ़ेगी।

15वें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017

भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित हैं। राज्य सभा के सदस्यों ने देश के दो सर्वोच्च संवैधानिक पदों अर्थात् भारत के राष्ट्रपति तथा भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्रमशः 17 जुलाई, 2017 तथा 5 अगस्त, 2017 को अपने निर्वाचन दायित्व का निवर्हन किया।

इन निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ यह सुस्थापित परिपाटी है कि राज्य सभा/लोक सभा के महासचिव को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। लोक सभा के तत्कालीन महासचिव, श्री अनूप मिश्रा राष्ट्रपतीय निवार्चन, 2017 के निर्वाचन अधिकारी थे जबकि राज्य सभा के तत्कालीन महासचिव, श्री शमशेर के. शरीफ उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए निर्वाचन अधिकारी थे।

दिनांक 20 जुलाई, 2017 को **श्री राम नाथ कोविन्द** को भारत का 14**वां राष्ट्रपति** निर्वाचित घोषित किया गया और दिनांक 25 जुलाई 2017 को उन्हें संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री जगदीश सिंह केहर ने शपथ दिलाई। दिनांक 5 अगस्त, 2017 को **श्री एम. वैंकैया नायडु** को भारत का 13**वां उपराष्ट्रपति निर्वाचित** घोषित किया गया। उन्हें 11 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविन्द द्वारा उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई।

सदस्यों द्वारा दी गई बधाइयों का उत्तर देते हुए माननीय सभापति ने संसद सदस्यों द्वारा उन पर अपना भरोसा और विश्वास रखने और उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आजादी के 70 वर्षों के पश्चात् भी देश को पेश आ रही गरीबी, निरक्षरता, असमानता जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए श्री नायडु जी ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाए जाने और साझा राष्ट्रीय उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलकर कार्य करने की तत्काल जरूरत पर बल दिया। उन्होंने समुक्ति की, "हमारी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में नाना प्रकार के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न तर्कों और विचारों को व्यक्त करने की अनुमति है। परन्तु प्रतिकूल राजनीति से बचा जाना चाहिए क्योंकि यह संसद के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिससे हमारे राष्ट्र की प्रगति प्रभावित होती है" उन्होंने आगे कहा, "हम भिन्न-भिन्न दलों से हो सकते हैं परन्तु हमारा साझा लक्ष्य भारत को स्थिर, सुदृढ़ तथा समृद्ध बनाना है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास का लाभ हर व्यक्ति को मिले, जिसे आप "अंत्योदय" - अर्थात् गरीब से गरीब का

सभा में पत्रों को सभा पटल पर रखते समय मंत्रियों/सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले बयानों के संबंध में माननीय सभापति की समुक्ति

परम्परानुसार सभा पटल पर पत्र रखते समय किसी भी मंत्री को यह कहना पड़ता था 'श्रीमन, आज की संशोधित कार्यावली में मेरे नाम के सम्मुख दर्शाए गए ... पत्रों को पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ ..। 15 दिसम्बर, 2017 को माननीय सभापति ने उन मंत्रियों तथा सदस्यों, जिन्हें पटल पर पत्र रखने होते थे, को यह सुझाव देते हुए पुरानी परम्परा को त्यागने को कहा और पत्रों को पटल पर रखते समय 'प्रार्थना करना' शब्द का इस्तेमाल न करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसकी बजाय वह यह कह सकते हैं, "मैं सभा पटल पर ये पत्र रखता हूँ..." उन्होंने आगे कहा कि चूंकि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, पत्रों को पटल पर रखने के लिए अनुमति मागने की कोई जरूरत नहीं है। यद्यपि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह केवल एक सुझाव है न कि निदेश।

भी उत्थान हो" कहते हैं। संसदीय कार्यवाहियों में व्यवधान के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए तथा जनता के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रबुद्ध और सार्थक वाद-विवाद तथा चर्चा किए जाने की अपेक्षाकृत अधिक जरूरत पर बल देते हुए माननीय सभापति ने आगे कहा, " ...संसद में समझदारी की बातें होनी चाहिए, उनकी चिंताएं व्यक्त होनी चाहिए तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना ही आगे बढ़ने का उपाय होना चाहिए।" सदस्यों के पास उपलब्ध समय का प्रभावी तरीके से उपयोग करने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा, "विपक्ष द्वारा कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का बेहतर उपाय सरकार से काम लेना और संसूचित वाद-विवाद में उन्हें घेरना हो सकता है।" उन्होंने मीडिया को सनसनीखेज खबरों, विवादों तथा नकारात्मकता पर अनावश्यक ध्यान देने की बजाय सभा में सार्थक वाद-विवाद पर ज्यादा ध्यान देने की भी सलाह दी। उन्होंने सदस्यों से यह भी आग्रह किया कि वे प्रतिस्पर्धात्मक और सहयोगात्मक 'संघवाद' की भावना से कार्य करें ताकि विकास की गति तेज हो तथा जनता को अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए अधिक अवसर मिले एवं वे इस राष्ट्रीय ध्येय को पूरा करने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकें। माननीय सभापति ने कहा कि वे इस सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने और उन पर व्यक्त विश्वास पर खरा उतरने के लिए प्रयासरत रहेंगे और सदस्यों की सामूहिक समझदारी के अनुसार सभा कार्यकरण में सुधार करने के लिए सदस्यों के सुझावों का स्वागत करेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रस्ताव।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले, को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राज्य सभा के 58 सदस्यों द्वारा दिया गया एक प्रस्ताव राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2015 को स्वीकृत किया गया। राज्य सभा के सभापति द्वारा उन आधारों, जिनको लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले को हटाने की प्रार्थना की गई थी, की जांच करने के प्रयोजनार्थ न्यायधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत एक समिति का गठन करने के संबंध में दिनांक 15 अप्रैल, 2015 को एक अधिसूचना जारी की गई। न्यायाधीश जांच समिति के द्वारा दिनांक 5.9.2017 को राज्य सभा के सभापति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और इसे राज्य सभा के पटल पर 15.12.2017 को तथा लोक सभा के पटल पर 18.12.2017 को रखा गया। प्रतिवेदन के अनुसार न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए और इसलिए सभा द्वारा इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सारणी

242वें, 243वें तथा 244वें सत्र के दौरान कार्य की विभिन्न मदों पर राज्य सभा द्वारा लिया गया समय

विषय	लिया गया समय		
	242वां घंटे/मिनट	243वां घंटे/मिनट	244वां घंटे/मिनट
राष्ट्रगान/राष्ट्रगीत	0-02	0-02	0-02
संसद की दोनो सभाओं को दिया गया राष्ट्रपति का अभिभाषण जिसे सभा पटल पर रखा गया	0-01	-	-
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	14-05	-	-
शपथ या प्रतिज्ञान	0-02	0-03	-
दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि	0-29	0-31	0-25
राज्य सभा के महासचिव का परिचय	-	-	0-01
सभापति को विदाई	-	2-03	-
सभापति को बधाई	-	2-21	-
सभापीठ द्वारा बधाई	-	-	0-04
सभापीठ द्वारा विनिर्णय/उल्लेख /समुक्ति/घोषणा	0-05	2-15	0-04
भारत छोड़ो आन्दोलन की 75वीं वर्षगांठ पर संकल्प	-	0-02	-
प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का परिचय	-	-	0-02
सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को विदाई	-	1-28	0-33
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	0-02	0-02	0-02
दल बदलने के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता	-	-	0-02
विशेषाधिकार के प्रश्न	-	0-04	-
प्रश्न	22-03	8-08	4-55
प्रश्नों के उत्तरों के संशोधनार्थ मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	0-03	0-03	0-01
अनुमति से उठाए गए मामले (शून्य काल प्रस्तुतीकरण)	11-52	4-13	2-47
विशेष उल्लेख	1-08	2-06	0-50
अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर ध्यानाकर्षण	1-08	3-01	-
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	1-36	0-17	0-46
अल्पकालिक चर्चा (नियम 176 के अधीन चर्चा)	9-51	17-11	5-58
सभा पटल पर रखी गई अनुपूरक अनुदान मांगें	0-02	0-01	0-02

विषय	लिया गया समय		
	242वां घंटे/मिनट	243वां घंटे/मिनट	244वां घंटे/मिनट
सभा पटल पर रखे गए बजट	0-01	-	-
बजट-सामान्य चर्चा	13-16	-	-
संकल्प/सरकारी संकल्प	-	-	0-01
परिनियत संकल्प	0-04	0-07	0-14
सरकारी विधान कार्य	24-28	17-47	14-13
गैर सरकारी सदस्यों का कार्य			
- गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प	4-56	0-01	-
- गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक	8-34	4-49	2-23
मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा	5-44	-	-
उप सभाध्यक्षों का पैनल	-	-	0-01
याचिकाएं	-	0-01	0-03
सभा पटल पर रखे गए पत्र	0-43	0-31	0-37
नियम 272 के स्थगन हेतु प्रस्ताव	0-01	-	-
अध्यादेशों के बारे में विवरण -सभा पटल पर रखा गया	0-01	-	-
समितियों के प्रतिवेदन/विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए/रखे गए	0-48	0-29	0-23
संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक 2017 संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य	-	0-01	-
मोटर यान(संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन	-	-	0-01
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम 1968 के अंतर्गत जांच समिति का प्रतिवेदन	-	-	0-01
अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय संसदीय सहभागिता का प्रतिवदेन	-	0-01	-
सभा को सूचना	0-07	0-31	-
राज्य सभा की बैठकों का रद्द होना	0-02	-	-
अनुपस्थित रहने की अनुमति	0-07	0-03	0-02
विभिन्न समितियों/निकायों में सदस्यों के निर्वाचन/नियुक्ति हेतु प्रस्ताव	0-05	0-08	0-07
मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने हेतु प्रस्ताव	-	-	0-01
लोक सभा से प्राप्त संदेश-सूचित/सभा पटल पर रखे गए सरकारी विधेयक	0-19	0-18	0-17

	लिया गया समय		
विषय	242**वां** **घंटे/मिनट**	243**वां** **घंटे/मिनट**	244**वां** **घंटे/मिनट**
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें	0-10	0-03	0-04
सरकारी कार्य के संबंध में विवरण	0-08	0-06	0-09
राज्य सभा की बैठक का रद्द होना	-	-	0-01
विदाई उद्‌गार	0-04	0-03	0-08
उठाए गए मुद्दे	14-11	12-13	5-39
कुल	136.18	81-03	40-59

2

समितियां

संसदीय कार्य न केवल सदन में बल्कि समितियों, जिन्हें वस्तुतः लघु विधानमंडल कहा जाता है, में भी किया जाता है। इस समय राज्य सभा की 12 स्थायी समितियां हैं जिनके लिए सदस्य राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। समिति प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने तथा कार्यकारिणी की संसदीय संवीक्षा को वृहद एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जुलाई 2004 में विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई जिसमें से आठ समितियां राज्य सभा के सभापति के नियंत्रण और निर्देश के अंतर्गत कार्य करती है और सोलह समितियां लोक सभा के अध्यक्ष के नियंत्रण और निर्देश के अंतर्गत कार्य करती हैं। इन समितियों की सदस्यता को भी 45 से घटाकर 31 कर दिया गया जिसमें से 10 सदस्य राज्य सभा से और 21 लोक सभा से होते हैं।

वर्ष 2017 के दौरान राज्य सभा की समितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कुल 75 प्रतिवेदनों (*उपाबंध VI*) में से 64 प्रतिवेदन आठ विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे जो कि राज्य सभा सचिवालय द्वारा सेवा प्रदत्त हैं। समितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या से संबंधित सूचना निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

सारणी

वर्ष 2017 के दौरान राज्य सभा की समितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या

क्रम संख्या	समिति का नाम	प्रतिवेदनों की संख्या[+]
1.	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	4
2.	याचिका समिति	2
3.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	1
4.	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	3
5.	नियम समिति	-
6.	विशेषाधिकार समिति	1
7.	आवास समिति	-
8.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति	-
9.	आचार समिति	-
10.	कार्य मंत्रणा समिति[++]	-

[+] समितियाँ → स्थायी समितियाँ और समितियाँ→ विभाग संबंधित (आरएस) लिंक के अंतर्गत राज्य सभा की वेबसाइट अर्थात rajyasabha.nic.in पर प्रतिवेदन ऑनलाइन उपलब्ध है

[++] समिति प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत करती है। इसकी सिफारिशें सभापीठ द्वारा घोषणा के रुप में सभा में सूचित की जाती है।

क्रम संख्या	समिति का नाम	प्रतिवेदनों की संख्या[+]
11.	राज्य सभा सदस्यों हेतु कम्प्यूटर का प्रावधान संबंधी समिति[δ]	8
12.	सामान्य प्रयोजन समिति[δ]	-
13.	विभाग संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति	8
14.	विभाग संबंधित गृहकार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति	6
15.	विभाग संबंधित स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति	7
16.	विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति	9
17.	विभाग संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति	6
18.	विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति	7
19.	विभाग संबंधित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति	8
20.	विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति	13

[+] समितियाँ → स्थायी समितियाँ और समितियाँ→ विभाग संबंधित (आरएस) लिंक के अंतर्गत राज्य सभा की वेबसाइट अर्थात rajyasabha.nic.in पर प्रतिवेदन ऑनलाइन उपलब्ध है

[δ] ये समितियां प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत करती हैं। समितियों के निर्णय समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त में शामिल किए जाते हैं।

3

नई पहलें

कम्प्यूटरीकरण और ई-गवर्नेंस संबंधी पहलें

वर्ष 2017 के दौरान, 2016-18 की अवधि के लिए एन.आई.सी. और सचिवालय के प्रयोक्ता अनुभागों के समन्वय से सूचना प्रौद्योगिकी योजना के अनेक कार्यों/पहलों को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर) ने इस समय प्रयोग में लाई जा रही एप्लीकेशनों में सुधार संबंधी कार्य प्रारंभ किया। इस अनुभाग द्वारा किए गए मुख्य आई.टी. कार्य/पहल इस प्रकार हैं:

(i) वर्ष 2016 में इस अनुभाग द्वारा एम.ई.आई.टी.वाई. (Meity) द्वारा राज्य सभा के सदस्यों और सचिवालय के अधिकारियों हेतु ई-गवर्नेंस का प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करने का प्रावधान शुरू किया गया था। इसी प्रावधान को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2017 में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्यक्रमों से लगभग 50 अधिकारी लाभांन्वित हुए।

(ii) सचिवालय की ओर से वर्ष के दौरान संबंधित आंकड़ों को 'राष्ट्रीय आँकड़ा साझेदारी एवं अभिगम्यता नीति' के अंतर्गत, भारत सरकार के ओपन डेटा पोर्टल पर डाला गया। वर्ष 2017 में इस पोर्टल पर कुल 2553 डेटा सेट अपलोड किए गए।

(iii) वर्ष 2017 में सितम्बर से अक्तूबर तक राज्य सभा के सदस्यों के लिए आधार पंजीकरण और ई-साईन डीएससी के साथ डिजीटल लॉकर सिस्टम हेतु सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया।

(iv) राज्य सभा की वेबसाइटों को उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुसार पुनः डिज़ाइन करने और उसमें यथा अपेक्षित नए फीचर सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, राज्य सभा की वेबसाइटों के पुनः डिज़ाइन हेतु राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों और एन.आई.सी. को मिलाकर गठित समिति इस उद्देश्यार्थ तैयार 'आवश्यकता विनिर्देश प्रस्ताव' (रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशनंस प्रपोज़ल) और मानक आपरेटिंग प्रक्रिया के अनुसार एन.आई.सी.एस.आई की पैनलबद्ध एजेंसी के माध्यम से इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु कार्यरत है।

(v) सचिवालय द्वारा उपसचिव/समकक्ष एवं उससे ऊपर के पदों के लिए नोटबुक/लैपटॉप इत्यादि खरीदने संबंधी दिशानिर्देशों पर विचार कर यह निर्णय लिया गया कि मानक सॉफ्टवेयर, और 70,000/-रुपये से अनधिक मूल्य वाले लैपटॉप चरणबद्ध रीति से प्रत्येक पात्र अधिकारी को जारी किए जा सकते हैं।

वर्ष के दौरान, एन.आई.सी. के सहयोग से किए गए सॉफ्टवेयर संबंधी कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है:

(i) **आर एस फाइल्स पोर्टल (राज्य सभा सचिवालय)**: आर एस फाईल्स पोर्टल, राज्य सभा सचिवालय के अनुभागों की पुरानी स्थायी प्रकृति की सभी फाईलों को डिजीटल रूप से खोज सकने वाला एक संग्रह है। यह, 'उन्नत खोज' (एडवान्स्ड सर्च) की सुविधा के साथ 'डी' स्पेस में विकसित इंट्रानेट आधारित एक सुरक्षित पोर्टल है। प्रत्येक अनुभाग को उपलब्ध कराए गए यूज़र आई.डी. और पासवर्ड द्वारा इस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा सकता है।

(ii) **सदस्य लॉगइन पोर्टल (हिन्दी संस्करण)**: सदस्यों के लॉगिन पोर्टल के हिन्दी संस्करण को डिज़ाइन एवं विकसित कर लिया गया है। सदस्यों के प्रयोग हेतु पोर्टल को कार्यशील बना दिया गया है। यह पोर्टल, सदस्यों तथा राज्य सभा सचिवालय के बीच दो तरफा संचार चैनल स्थापित करता है। सेवा, वेतन पर्ची, टी.ए./डी.ए. बिल भुगतान, एम.टी.एन.एल./एन.डी.एम.सी. (बिजली-पानी के बिल), समिति की बैठक की अनुसूची, दिवस के कार्य, शब्दशः वाद विवाद, पेयजल एवं स्वच्छता डेटा इत्यादि संबंधी सूचना पोर्टल ग्रुप एस.एम.एस./ग्रुप ई-मेल द्वारा दी जाती है।

(iii) **राज्य सभा क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी एमआईएस**: सोसाईटी की सदस्यता प्राप्त करने तथा तात्कालिक एवं सामान्य ऋण प्राप्ति के अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए ऑन लाईन सुविधा विकसित कर कार्यशील कर दी गई है। आय-व्यय संबंधी प्रतिवेदन, तुलन पत्र प्रतिवेदन, प्राप्ति भुगतान प्रतिवेदन हेतु एप्लीकेशन को संशोधित किया गया; लाभांश को सी.डी.ब्याज कार्यात्मकता के साथ एकीकृत किया गया; खाते से सोसाइटी सी.जी.एफ. की कटौती, मद-वार खाता रिपोर्ट, वार्षिक, मासिक और दैनिक नकदी बही रिपोर्ट हेतु एप्लीकेशन तैयार किया गया है।

(iv) **असंशोधित वाद-विवादों का सूचक तैयार करना**: असंशोधित वाद-विवादों का सूचक तैयार करने के लिए नया एप्लीकेशन तैयार किया गया।

(v) **ई-सूचना**: यह एप्लीकेशन संसद सदस्यों (राज्य सभा) द्वारा संसदीय सूचनाओं को ऑन-लाइन प्रस्तुत करने के लिए है। सूचनाओं को या तो अंग्रेजी या हिन्दी में प्रस्तुत किया जा सकता है। सदस्यों के पास सभी पहले से प्रस्तुत सूचनाओं का रिकार्ड होगा। सूचना कार्यालाय, प्रश्न शाखा, विधायी अनुभाग और बिल ऑफिस के पास विभिन्न प्रकार की सूचनाओं तक पहुंच स्थापित करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए अपना इंटरफेस है। इस एप्लीकेशन की सुरक्षा लेखापरीक्षा पूरी कर ली गई है।

(vi) **द्विभाषी वेब-आधारित समिति एम.आई.एस.:** समितियों की सभी आवश्यकताओं जैसे समिति मास्टर सूचना, सदस्यता, रिपोर्ट प्रकाशन, बैठकों के एस.एम.एस. भेजना, दौरा संबंधी ब्यौरा, विधेयक, प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन आदि को पूरा करने के लिए एक नई वेब आधारित समिति एम.आई.एस. को विकसित किया गया और इसका बीटा संस्करण प्रारम्भ किया गया। इसमें विभिन्न समिति शाखाओं से प्राप्त फीडबैक को शामिल किया गया।

वर्ष 2017 के दौरान, सचिवालय ने राज्य सभा सचिवालय में उपयोग के लिए 65 डेस्कटॉप कम्प्यूटरों, 4 लैपटॉपों, 13 प्रिंटरों, 92 यू.पी.एस., 5 ऐप्पल आई पैडों, 6 हैंड हैल्ड कम्प्यूटरों, 16 पैन ड्राइवों तथा 2 बाहरी हार्ड डिस्कों के लिए क्रय आदेश जारी किए।

संसद सदस्य सुविधा अनुभाग: नार्थ/साउथ एवेन्यू में स्थित सांसदों के फ्लैटों का पुन: विकास

नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में स्थित सांसदों के फ्लैटों के पुनः विकास में तेजी लाने के लिए, संसद सदस्य सुविधा अनुभाग द्वारा सेवा प्रदत्त आवास समिति ने 18 सितम्बर, 2013 को हुई अपनी बैठक में नॉर्थ एवेन्यू में मौजूदा पुराने फ्लैटों को चरणबद्ध तरीके से गिरा कर पुनः विकास के लिए सिद्धान्ततः अनुमोदन दिया था। प्रथम चरण में, नॉर्थ एवेन्यू के फ्लैट नं. 1 से 64 को ध्वस्त करने का फैसला किया गया। समिति ने 30 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में परियोजना की संशोधित योजना का भी अनुमोदन किया। मौजूदा एकल फ्लैटों को ध्वस्त करके, बेसमेंट और आधुनिकतम सुविधाओं से लैस दुमंजिला फ्लैटों का निर्माण किया जायेगा। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने प्रधानमंत्री कार्यालय से एल.बी.जेड. स्वीकृति, दिल्ली शहरी कला आयोग, एन.डी.एम.सी.आदि जैसे विभिन्न अभिकरणों से

योजना की मंजूरी प्राप्त कर ली है। आवास समिति के अध्यक्ष ने प्रथम चरण में राज्य सभा पूल के चार दुमंजिला फ्लैटों के निर्माण हेतु दिनांक 5 जून, 2017 के पत्र के द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. को 10.25 करोड़ रूपये हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संबंधी मंजूरी की सूचना दी। प्रथम चरण में ध्वस्त किए जाने वाले राज्य सभा पूल की सभी आवासीय इकाइयों को खाली करवाया गया और सी.पी.डब्ल्यू.डी. को सौंप दिया गया।

विभाग-संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति: वैज्ञानिक नवप्रयोगों पर प्रदर्शनी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति की पहल पर, 28 जुलाई से 11 अगस्त, 2017 तक संसदीय सौध में समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकीय नवप्रयोगों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्य सभा के तत्कालीन माननीय सभापति द्वारा इस प्रदर्शनी का उदघाटन किया गया।

आचार समिति: आस्तियों और देयताओं की घोषणा हेतु, ऑन लाइन तंत्र के लिए अनुमोदन

राज्य सभा की वेबसाइट पर पोर्टल के माध्यम से आस्तियों और देयताओं तथा आर्थिक हितों के संबंध में सदस्यों द्वारा घोषणाओं को प्रस्तुत करने हेतु ऑन लाइन तंत्र विकसित करने के लिए आचार समिति द्वारा 25 जुलाई, 2017 को हुई बैठक में प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसरण में, समिति अनुभाग द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक फॉर्मेट की सिफारिश की गई। इस प्रकार विकसित सॉफ्टवेयर का परीक्षण प्रक्रियाधीन है।

समिति अनुभाग (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना): एम.पी.लैडस दिशानिर्देशों की ई-प्रति

वर्ष 2017 के दौरान एक नई पहल के रूप में, एम.पी.लैड योजना के संबंध में दिशानिर्देशों की अद्यतन ई-प्रति तत्काल संदर्भ के लिए रखी गई। समय-समय पर जारी परिपत्रों द्वारा नोडल मंत्रालय अर्थात् 'सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वय-मंत्रालय' द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों में किए गए संशोधनों को नियमित रूप से ई-प्रति में शामिल किया गया।

समिति समन्वय अनुभाग: समितियों के संबंध में सूचना का डिजिटल प्रदर्शन

सदस्यों की सुविधा के लिए संसद भवन, संसदीय सौध और संसदीय ग्रंथालय में रखे गए टेलीविजन सैटों पर समिति की बैठकों के संबंध में सूचना के डिजिटल प्रदर्शन की प्रक्रिया कार्यान्वित की गई। इस प्रयोजनार्थ, सभी समिति शाखाओं से समितियों की बैठकों के संबंध में सूचना, नामतः समिति का नाम, समिति की बैठक का समय और स्थल आदि, कम से कम दो कार्य-दिवस पहले प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

पुस्तकालय, संदर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस: राज्य सभा के नए सभापति के संबंध में प्रकाशन)

'सभापति महोदय (श्री एम. वेंकैया नायडु) का स्वागत' नामक प्रकाशन का संकलन किया गया। यह प्रकाशन श्री एम. वेंकैया नायडु द्वारा राज्य सभा के सभापति का पदभार संभालने के अवसर पर उन्हें बधाई देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों और इन बधाइयों पर उनके प्रत्युत्तर के संकलन का प्रकाशन है।

शब्दशः वृत्तलेखन सेवा: वाद विवादों का सूचक

एक नई पहल के रूप में राज्य सभा के 243वें सत्र से, राज्य सभा वाद विवादों की अंतर्वस्तु की सारणी "सूचक" के रूप में अपलोड की जा रही है ताकि सदस्य सभा की शब्दशः कार्यवाही पर एक नजर मार सकें।

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ: कर्मचारियों का कौशल संवर्द्धन

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को प्रदत्त महत्वपूर्ण कार्यो में से एक, सचिवालय के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की नई संभावनाओं की तलाश करना है। वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्रकोष्ठ द्वारा किए गए प्रयासों एवं पहलों द्वारा, 'इकोल नेशनेल द एडमिनिस्ट्रेशन' (ईएनए), पेरिस द्वारा आयोजित 'आर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंटरी वर्क' संबंधी कार्यक्रम और लंदन, यूनाइटेड किंगडम में 'पार्लियामेंटरी प्रोसीजर्स' पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को मौलिक जानकारी के प्रशिक्षण हेतु भेज, सचिवालय का विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम बहाल हो पाया है। इसके अलावा कई अन्य देशों की संसदों की ओर से भी राज्य सभा को आमंत्रण भेजे गए हैं जैसेः 'पार्लियामेंटरी ऑफिसर्स स्टडी प्रोग्राम ऑफ कैनेडियन पार्लियामेंट', 'इंटर पार्लियामेंटरी स्टडी प्रोग्राम ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट', 'कॉमनवेल्थ सार्जेंट एट आर्म्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस एट कैनबरा, ऑस्ट्रलिया', 'प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एट हाउस ऑफ कॉमन्स, यू.के. पार्लियामेंट' इत्यादि। विदेशों के इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, कौशल संवर्द्धन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों में अपने अधिकारियों को नामनिर्देशित करने के लिए सचिवालय, हैदराबाद स्थित 'एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया' के साथ भी कार्यरत रहा। विधायी प्रारूपण के उन्नत पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपयुक्त संस्थानों की पहचान करने और एक्सचेंज/स्टडी कार्यक्रमों द्वारा अन्य संसदों के साथ संपर्क के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ अन्य नई पहलें जैसे 'प्रवेश-स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम', 'प्रबंधन विकास संबंधी विशिष्ट कार्यक्रम' का डिजाइन प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं।

'कार्यरत राज्य सभा' प्रकाशन के तीसरे अंक का विमोचन

'कार्यरत राज्य सभा' नामक प्रकाशन के तीसरे अंक के विमोचन के लिए 21 मार्च, 2017 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तत्कालीन भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री एम.हामिद अंसारी, द्वारा यह पुस्तक जारी की गई। इस प्रकाशन का प्रत्येक दस वर्षो में अद्यतन किया जाता है और इसमें सभा के नियमों, प्रक्रियाओं, रीतियों और परिपाटियों में किए गए परिवर्तनों को व्यापक रूप से शामिल किया जाता है। इसका प्रथम अंक वर्ष 1996 में और दूसरा अंक वर्ष 2006 में जारी किया गया था।

4

संसद और जनता

संसद भवन परिसर में दो स्वागत कार्यालय स्थित हैं, एक संसद भवन (पी.एच.) में और दूसरा संसदीय सौध (पी.एच.ए.) में है। ये स्वागत कार्यालय आगंतुकों की संसद सदस्यों, मंत्रियों, राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलने में सहायता करते हैं। स्वागत कार्यालय मंत्रालयों / विभागों के अधिकारियों को उनके आधिकारिक काम के संबंध में संसद भवन और संसदीय सौध में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र भी जारी करते हैं। वर्ष 2017 में, इन स्वागत कार्यालयों ने माननीय संसद सदस्यों के परिवार के सदस्यों /अतिथियों, राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के अतिथियों और सत्र एवं अंतर-सत्रावधि के दौरान संसद भवन परिसर के अंदर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों के लिए 57430 प्रवेश पत्र /अनुमति पत्र जारी किए। इनमें स्वागत कार्यालय, संसद भवन से जारी 34048 पास (शो-राउंड सहित); स्वागत कार्यालय, संसदीय सौध से जारी 22609 पास और तालकटोरा गेट सं.1 से जारी 773 हस्तलिखित नैमित्तिक प्रवेश-पत्र शामिल हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 'केन्द्रीय पास निर्गम प्रकोष्ठ (सी.पी.आई.सी.), राज्यसभा सचिवालय ने 1098 रेडियो फ्रिक्वेंसी (आर.एफ.) टैग जारी / अद्यतन किए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017 में सी.पी.आई.सी. ने वाहन चालकों के लिए 1006 पास, 552 नैमित्तिक प्रवेश पत्र, 7161 ऑफिशियल बॉक्स / राजनयिक पास, 1009 प्रेस दीर्घा प्रवेश पत्र, 7288 सार्वजनिक / विशिष्ट आगंतुक दीर्घा प्रवेश पत्र (समूह प्रवेश पत्र सहित) और आगंतुकों के लिए केन्द्रीय कक्ष हेतु 184 प्रवेश पत्र जारी / नवीनीकृत किए।

वर्ष 2017 के दौरान, मंत्रालयों के 3657 अधिकारियों और 6757 प्रेस संवाददाताओं की उपस्थिति दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, 263 विशिष्ट आगंतुकों और 8449 आगंतुकों ने राज्यसभा की कार्यवाहियों को दर्शक दीर्घा से देखा। संसद सदस्यों और सचिवालय के अधिकारियों की अनुशंसा पर, संसदीय सुरक्षा सेवा के कर्मचारी संसद भवन के शो-राउंड के लिए 12186 आगंतुकों को ले गए। कुल मिलाकर, वर्ष के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों ने लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय और संसद भवन परिसर के भीतर सहयोगी सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर 76556 आगंतुकों / अतिथियों के आवागमन को नियंत्रित किया।

आर.टी.आई. प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम, 2005 के प्रख्यापित होने के बाद, इसे सितम्बर 2005 से राज्यसभा सचिवालय में लागू कर दिया गया। प्रथम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) की नियुक्ति और सचिवालय के पहले अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना क्रमशः दिनांक 30.09.2005 और 07.10.2005 की अधिसूचनाओं के माध्यम से की गयी थी। बाद में, आर.टी.आई. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सी.पी.आई.ओ., राज्यसभा सचिवालय की देख-रेख में सचिवालय में आर.टी.आई. से संबंधित सभी कार्यों के निपटान के लिए मई 2007 में एक आर.टी.आई. प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। आर.टी.आई. ने देश के नागरिकों को संसद के कामकाज के निकट लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्ष 2017 के दौरान, आर.टी.आई. सेल में 517 ऑफ़लाइन आर.टी.आई. आवेदन, 718 ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन, 66 ऑफ़लाइन प्रथम अपीलें, 51 ऑनलाइन प्रथम अपीलें, 5 द्वितीय अपीलें, केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) के समक्ष दायर की गई तथा 8 विविध आवेदन और 62 लिंक आवेदन प्राप्त हुए। सचिवालय को आर.टी.आई. अधिनियम के तहत आवेदन शुल्क के रूप में और सूचना की लागत के तौर पर कुल 10,482/- रूपये प्राप्त हुए जिसका विवरण अलग से एक नकद रजिस्टर में रखा जाता है।

5

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अंतर-संसदीय संवाद

अंतर-संसदीय सहयोग जन प्रतिनिधियों के स्तर पर आपसी समझ को बढ़ावा देता है। वर्ष के दौरान, संपूर्ण विश्व के संसद सदस्यों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने और साथ ही विभिन्न मंचों पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए, बारह भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों में भाग लिया। इस अवधि के दौरान, कुल चार विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत आए। इन दौरों का विवरण नीचे सारणी (क और ख) में दिया गया है:

क. वर्ष 2017 के दौरान भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों के विदेशी दौरे

1. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों / बैठकों के लिए गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडल

	देश	दौरे की तारीख	दौरे का प्रयोजन	राज्य सभा सदस्य का नाम
1.	इस्लामाबाद, पाकिस्तान	13-15 मार्च,2017	एशियाई संसद (एस.सी.ए.ए.पी.) के गठन हेतु विशेष समिति की बैठक तथा राजनीतिक मामलों पर ए.पी.ए. स्थायी समिति	स्वपन दासगुप्ता (नाम-निर्देशित)
2.	ढाका, बांग्लादेश	31 मार्च-7 अप्रैल, 2017	आई.पी.यू. की 136वीं सभा	श्रीमती विप्लव ठाकुर (भा.रा.कां.) श्री अनिल देसाई (शि.से.) सुश्री दोला सेन (अ.भा.त्रि.कां.)
3.	लंदन, यूके	25-28 अप्रैल, 2017	आधुनिक दास प्रथा पर एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय कार्यशाला	श्री बी.के. हरिप्रसाद (भा.रा.कां.) श्री सतीश चंद्र मिश्रा (ब.स.पा.) श्री भूपेन्द्र यादव (भा.ज.पा.)
4.	सियोल, कोरिया गणराज्य	25-28 जून , 2017	यूरेशियाई देशों की संसद के अध्यक्षों की बैठक	प्रो पी. जे. कुरियन, माननीय उपसभापति , राज्य सभा
5.	नुसा दुआ, बाली, इंडोनेशिया	6-7 सितम्बर, 2017	सतत विकास पर प्रथम विश्व संसदीय मंच	श्री ला. गणेसन (भा.ज.पा.)
6.	कोलंबो, श्रीलंका	4-6 अक्तूबर, 2017	दक्षेस अध्यक्षों और संसद सदस्यों के संघ का 8वां सम्मेलन	श्री राजीव शुक्ल (भा.रा.कां.) डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे (भा.ज.पा.)
7.	सेंट पीट्सबर्ग, रूसी संघ	13-21 अक्तूबर, 2017	आईपीयू की 137वीं सभा	श्री बसावाराज पाटिल ((भा.ज.पा.) श्री अनिल देसाई (शि.से.) डॉ. शशिकला पुष्पा रामास्वामी (अ.भा.अ.द्र.मु.क.)

	देश	दौरे की तारीख	दौरे का प्रयोजन	राज्य सभा सदस्य का नाम
8.	ढाका, बांग्लादेश	1-8 नवम्बर, 2017	63 वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन	श्रीमती रूपा गांगुली (नाम-निर्देशित)
9.	ओटावा, कनाडा	17-18 नवम्बर, 2017	युवा सांसदों का चौथा आई.पी.यू. वैश्विक सम्मेलन	मीर मोहम्मद फ़ैयाज (जम्मू और कश्मीर पी.डी.पी.)
10.	ब्यूनस आयर्स अर्जेन्टीना	9-10 दिसम्बर, 2017	विश्व व्यापार संगठन के संबंध में संसदीय सम्मेलन का वार्षिक सत्र	श्री स्वपन दासगुप्ता (नाम-निर्देशित)

2. **सद्भावाना शिष्टमंडल**

	देश	दौरे की तारीख	राज्य सभा सदस्य का नाम
1.	मॉरीशस	6-12 जून, 2017	श्री रिपुन बोरा (भा.रा.कां.) श्री के.के. रागेश (भा.क.पा. - मार्क्सवादी)
2.	रूस	10-14 जुलाई, 2017	श्री सी.पी. नारायणन (भा.क.पा. - मार्क्सवादी)

ख. वर्ष 2017 के दौरान विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों का भारत दौरा

	देश	दौरे की तारीख	प्रतिनिधियों की संख्या	नेता का नाम
1.	मेक्सिको	12-19 मार्च, 2017	4	महामहिम सीनेटर टिओफिलो टोरेस कोरजो अध्यक्ष, एशिया प्रशांत की विदेश मामलों संबंधी समिति, हाऊस ऑफ सीनेटर्स, मेक्सिकन संसद। प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 15 मार्च, 2017 को संसद भवन में राज्य सभा के माननीय उपसभापति से भेंट की।
2.	नामीबिया	27-31 मार्च, 2017	7	महामहिम प्रोफेसर पीटर एच. काट्जाविवि, नामीबिया संसद की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष। प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 28 मार्च, 2017 को संसद भवन में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और सभापति,राज्य सभा से भेंट की।

	देश	दौरे की तारीख	प्रतिनिधियों की संख्या	नेता का नाम
3.	बहुराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल (एशिया एवं अफ्रीका)	13-15 सितम्बर, 2017	47	एक 47 सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रीय (एशिया एवं अफ्रीका) संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को संसद भवन में माननीय उप सभापति, राज्य सभा से भेंट की।
4.	माली	21 दिसम्बर, 2017	3	महामहिम, श्री एबडरहमने निआंग, माननीय अध्यक्ष, माली उच्च न्यायालय। प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को संसद भवन में भारत के माननीय उप राष्ट्रपति और सभापति, राज्य सभा से भेंट की।

6

सचिवालय

वर्ष 2017 के दौरान राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों की कुल संख्या 1812 (1728+84 आवधिक) थी, जिनमें से 500 कर्मचारी समूह 'क' पदों पर कार्यरत थे। वर्ष के दौरान अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने पर सचिवालय के 17 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। इसके अतिरिक्त, 4 कर्मचारियों को भर्ती एवं सेवा शर्ते नियमावली, 1957 के नियम 10 के साथ पठित मूल नियमावली के नियम 56 (ञ) के अंतर्गत जनहित में सचिवालय से सेवानिवृत्त किया गया, 1 कर्मचारी को सचिवालय से अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई, 2 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और 6 कर्मचारियों का निधन हुआ।

सचिवालय में निम्नलिखित सेवाएं हैं:-

(i) विधायी, वित्तीय, अधिशासी और प्रशासनिक सेवा;

(ii) पुस्तकालय, संदर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा;

(iii) शब्दशः वृत्तलेखन सेवा;

(iv) निजी सचिव और आशुलिपि सेवा;

(v) युगपत् भाषान्तरण सेवा;

(vi) मुद्रण और प्रकाशन सेवा;

(vii) सम्पादन और अनुवाद सेवा;

(viii) संसदीय सुरक्षा सेवा;

(ix) ड्राइवर एवं डिस्पैच राइडर्स सेवा;

(x) संदेशवाहक सेवा; और

(xi) राज्य सभा टी.वी. एकक।

महासचिव, सचिव, अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों तथा विभिन्न प्रभागों/सेवाओं के प्रभारी निदेशकों और अपर निदेशकों के अधिदेश का संक्षिप्त विवरण राज्य सभा की वेबसाइट अर्थात् rajyasabha.nic.in→सचिवालय→संगठन चार्ट लिंक के अन्तर्गत दिया गया है। इसी प्रकार, संबंधित सेवाओं/अनुभागों के विस्तृत कार्य निष्पादन के लिए वार्षिक प्रतिवेदन 2017 को देखा जा सकता है, जिसे rajyasabha.nic.in→सचिवालय→वार्षिक प्रतिवेदन लिंक के अंतर्गत अपलोड किया गया है।

राज्य सभा के नए महासचिव ने पदभार ग्रहण किया

श्री शमशेर के. शरीफ ने 31 अगस्त, 2017 को राज्य सभा के महासचिव के पद का परित्याग किया।

श्री देश दीपक वर्मा को 1 सितम्बर, 2017 से राज्य सभा के महासचिव के तौर पर नियुक्त किया गया। श्री देश दीपक वर्मा, उत्तर प्रदेश कैडर के 1978 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, ने पूर्व में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष और सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तौर पर कार्य किया है।

अस्थायी राजपत्रित और अराजपत्रित पदों का सृजन/लोप और कतिपय पदों के पदनामों में परिवर्तन/परिशोधन

वर्ष 2017 में, राज्य सभा सचिवालय में अस्थायी राजपत्रित और अराजपत्रित पदों का सृजन/लोप करते हुए विभिन्न पदों की संस्वीकृत संख्या और पदनामों में व्यापक परिवर्तन/परिशोधन किया गया। सचिवालय की विभिन्न सेवाओं में अब तक मौजूद संयुक्त ग्रेडों को अलग-अलग ग्रेड में विभाजित करते हुए उनके बीच समयबद्ध पदोन्नतियों के स्थान पर रिक्त पदों पर आधारित पदोन्नतियों को लागू किया गया (परिपत्र सं. आर.एस./24/2017-कार्मिक दिनांक 13 अप्रैल, 2017)। तद्नुसार, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के राज्य सभा सचिवालय (नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धतियां और अर्हताएं) आदेश, 2017 द्वारा राज्य सभा सचिवालय (भर्ती की पद्धतियां और अर्हताएं) आदेश 2009 और सभापति द्वारा इस संबंध में दिए गए अन्य सभी आदेश अधिक्रमित हो गए।

उपाबंध I.

2017 के दौरान राज्य सभा द्वारा पारित/लौटाए गए/लौटाए माने गए विधेयक

क्रम सं.	विधेयक का नाम	तारीख और सभा जिसमें पुर:स्थापित किया गया	जिस सभा में पुर:स्थापित किया गया, उसमें पारित होने की तारीख	दूसरी सभा द्वारा पारित किए जाने/ लौटाए जाने की तारीख	राष्ट्रपति की अनुमति की तारीख	अधिनियम सं.	राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख	अभ्युक्तियां
1	मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017	03/02/2017 लोक सभा	07/02/2017	08/02/2017	15/02/2017	2017 का 1	16/02/2017	अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक
2	विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) विधेयक, 2017♣	03/02/2017 लोक सभा	07/02/2017	----	27/02/2017	2017 का 2	28/02/2017	धन विधेयक और अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक
3	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017	08/03/2016 लोक सभा	09/03/2016 14/03/2017♦	10/03/2017	14/03/2017	2017 का 3	14/03/2017	अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक
4	विनियोग विधेयक, 2017	20/03/2017 लोक सभा	20/03/2017	23/03/2017	24/03/2017	2017 का 4	24/03/2017	धन विधेयक
5	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017	20/03/2017 लोक सभा	20/03/2017	23/03/2017	24/03/2017	2017 का 5	24/03/2017	धन विधेयक
6	प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2017	11/08/2016 राज्य सभा	11/08/2016 20/03/2017♥	09/03/2017	27/03/2017	2017 का 6	28/03/2017	
7	वित्त विधेयक, 2017	01/02/2017 लोक सभा	22/03/2017 30/03/2017♠	29/03/2017	31/03/2017	2017 का 7	31/03/2017	धन विधेयक
8	विनियोग (रेल) विधेयक, 2017	20/03/2017 लोक सभा	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	2017 का 8	31/03/2017	धन विधेयक
9	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2017	20/03/2017 लोक सभा	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	2017 का 9	31/03/2017	धन विधेयक

♣ राज्य सभा द्वारा विधेयक को लौटाया नहीं जा सका और विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अधीन दोनों सभाओं द्वारा पारित मान लिया गया।

♦ लोक सभा ने राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति प्रकट की।

♥ राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा किए गए औपचारिक संशोधनों पर सहमति प्रकट की।

♠ लोक सभा ने राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दिया।

10	मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2017	19/08/2013 राज्य सभा	08/08/2016 30/03/2017♦	27/03/2017	07/04/2017	2017 का 10	07/04/2017	
11	कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2017	05/08/2016 लोक सभा	09/08/2016 05/04/2017♦	22/03/2017	12/04/2017	2017 का 11	12/04/2017	
12	केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017	27/03/2017 लोक सभा	29/03/2017	06/04/2017	12/04/2017	2017 का 12	12/04/2017	धन विधेयक
13	एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक, 2017	27/03/2017 लोक सभा	29/03/2017	06/04/2017	12/04/2017	2017 का 13	12/04/2017	धन विधेयक
14	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017	27/03/2017 लोक सभा	29/03/2017	06/04/2017	12/04/2017	2017 का 14	12/04/2017	धन विधेयक
15	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017	27/03/2017 लोक सभा	29/03/2017	06/04/2017	12/04/2017	2017 का 15	12/04/2017	धन विधेयक
16	मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2017	11/02/2014 राज्य सभा	21/03/2017	11/04/2017	20/04/2017	2017 का 16	21/04/2017	
17	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017	10/03/2017 लोक सभा	23/03/2017	10/04/2017	28/04/2017	2017 का 17	01/05/2017	
18	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017♣	31/03/2017 लोक सभा	06/04/2017	-------	04/05/2017	2017 का 18	05/05/2017	धन विधेयक
19	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017	09/12/2016 लोक सभा	28/03/2017	26/07/2017	04/08/2017	2017 का 19	05/08/2017	
20	फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017	14/03/2017 लोक सभा	05/04/2017	24/07/2017	04/08/2017	2017 का 20	05/08/2017	
21	सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017	20/03/2017 लोक सभा	11/04/2017	26/07/2017	04/08/2017	2017 का 21	05/08/2017	
22	नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2017	21/11/2016 लोक सभा	10/03/2017	24/07/2017	09/08/2017	2017 का 22	09/08/2017	

♦ लोक सभा ने राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति प्रकट की।

♣ राज्य सभा द्वारा विधेयक को लौटाया नहीं जा सका और विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अधीन दोनों सभाओं द्वारा पारित मान लिया गया।

23	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (लोक निजी भागीदारी) विधेयक, 2017	10/04/2017 लोक सभा	19/07/2017	27/07/2017	09/08/2017	2017 का 23	09/08/2017	
24	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017	10/04/2017 लोक सभा	21/07/2017	01/08/2017	09/08/2017	2017 का 24	10/08/2017	
25	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017	27/03/2017 लोक सभा	26/07/2017	03/08/2017	17/08/2017	2017 का 25	19/08/2017	
26	केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) विधेयक, 2017♣	31/07/2017 लोक सभा	02/08/2017	-------	23/08/2017	2017 का 26	24/08/2017	धन विधेयक और अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक
27	एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) विधेयक, 2017♣	31/07/2017 लोक सभा	02/08/2017	-------	23/08/2017	2017 का 27	24/08/2017	धन विधेयक और अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक
28	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017♣	01/08/2017 लोक सभा	01/08/2017	-------	23/08/2017	2017 का 28	24/08/2017	धन विधेयक
29	विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2017♣	01/08/2017 लोक सभा	01/08/2017	-------	23/08/2017	2017 का 29	24/08/2017	धन विधेयक
30	बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017	24/07/2017 लोक सभा	03/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	2017 का 30	25/08/2017	अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक
31	पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2017♣	31/07/2017 लोक सभा	03/08/2017	-------	26/08/2017	2017 का 31	26/08/2017	धन विधेयक और अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक
32	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017	22/12/2017 लोक सभा	27/12/2017	28/12/2017	31/12/2017	2017 का 32	31/12/2017	
33	भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक, 2017	09/02/2017 लोक सभा	28/07/2017	19/12/2017	31/12/2017	2017 का 33	31/12/2017	
34	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017	16/03/2016 लोक सभा	27/07/2017	19/12/2017	03/01/2018	2018 का 1	03/01/2018	

♣ राज्य सभा द्वारा विधेयक को लौटाया नहीं जा सका और विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अधीन दोनों सभाओं द्वारा पारित मान लिया गया।

35	निरसन और संशोधन विधेयक, 2017	09/02/ 2017 लोक सभा	19/12/2017	28/12/2017	05/01/2018	2018 का 2	08/01/2018	
36	भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017	18/07/2017 लोक सभा	04/08/2017	27/12/2017	05/01/2018	2018 का 3	08/01/2018	
37	निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2017	11/08/2017 लोक सभा	19/12/2017	28/12/2017	05/01/2018	2018 का 4	08/01/2018	
38	भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017	18/12/2017 लोक सभा	20/12/2017	27/12/2017	05/01/2018	2018 का 5	08/01/2018	अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक
39	विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2017♣	21/12/2017 लोक सभा	21/12/2017	-------	18/01/2018	2018 का 6	19/01/2018	धन विधेयक
40	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018	05/04/2017 लोक सभा	03/08/2017 04/01/2018♦	02/01/2018	18/01/2018	2018 का 7	19/01/2018	
41	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018	28/12/ 2017 लोक सभा	29/12/2017 04/01/2018♦	02/01/2018	18/01/2018	2018 का 8	19/01/2018	अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक
42	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017♣	22/12/ 2017 लोक सभा	27/12/2017	-------	19/01/2018	2018 का 9	19/01/2018	धन विधेयक और अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक
43	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2018♣	21/12/2017 लोक सभा	04/01/2018	-------	25/01/2018	2018 का 10	27/01/2018	धन विधेयक
44	विनियोग विधेयक, 2018♣	04/01/ 2018 लोक सभा	04/01/2018	-------	25/01/2018	2018 का 11	27/01/2018	धन विधेयक

नोटः लोक सभा द्वारा 10.04.2017 को पारित एक (1) विधेयक नामतः 'संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 को राज्य सभा ने संशोधनों के साथ 31.07.2017 को पारित किया था। विधेयक को लोक सभा को लौटा दिया गया था और वह 2017 में लंबित रहा। लोक सभा ने विधेयक में और संशोधन करके पारित किया जिन पर राज्य सभा ने 06.08.2018 को सहमति दी। राष्ट्रपति ने 11.08.2018 को विधेयक को मंजूरी दी।

♣राज्य सभा द्वारा विधेयक को लौटाया नहीं जा सका और विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अधीन दोनों सभाओं द्वारा पारित मान लिया गया।

♦लोक सभा ने राज्य सभा द्वारा किए गए औपचारिक संशोधन पर सहमति प्रकट की।

2017 के दौरान राज्य सभा में अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों पर ध्यान दिलाए जाने की सूचनाएं

(i) 11.04.2017 को डा. के.वी.पी. रामचन्द्रन, संसद सदस्य ने विशेष श्रेणी दर्जा की अवधारणा को जारी रखने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया।

(ii) 27.07.2017 को श्री रिपुन बोरा, संसद सदस्य ने देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर असम में हाल की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान दिलाया।

(iii) 01.08.2017 को श्री के.के. रागेश ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में विदेशी ट्रॉलरों द्वारा अनुज्ञा-पत्र की विहित शर्तों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की ओर ध्यान दिलाया।

2017 के दौरान राज्य सभा में आयोजित अल्पकालिक चर्चा (नियम 176 के अधीन चर्चा)

(i) श्री मुकुल राय, संसद सदस्य द्वारा 22/03/2017 और 23/03/2017 को चुनाव संबंधी सुधार पर चर्चा।

(ii) श्री राजीव चन्द्रशेखर, संसद सदस्य द्वारा 10/04/2017 को 'आधार' - उसके कार्यान्वयन और प्रभाव पर चर्चा।

(iii) देश भर में अल्पसंख्यकों और दलितों की पीट-पीट कर हत्या और उन पर अत्याचार की घटनाओं में कथित वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद द्वारा 19/07/2017 और 20/07/2017 को चर्चा।

(iv) श्री दिग्विजय सिंह, संसद सदस्य द्वारा 25.07.2017 और 26.07.2017 को देश में किसानों की समस्याओं के कारण उनकी आत्महत्या की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर चर्चा।

(v) श्री आनन्द शर्मा, संसद सदस्य द्वारा 03.08.2017 को भारत की विदेश नीति और सामरिक भागीदारों के साथ तालमेल विषय पर चर्चा।

(vi) श्री नरेश अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा 28.12.2017 को दिल्ली में वायु प्रदूषण के अत्यधिक उच्च स्तर विषय पर चर्चा।

(vii) श्री आनन्द शर्मा, संसद सदस्य द्वारा 04.01.2018 को देश में अर्थव्यवस्था, निवेश का माहौल और नौकरी सृजन की स्थिति और बढ़ती हुई बेरोजगारी की चुनौती का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा।

2017 के दौरान राज्य सभा में विचारार्थ लिए जाने हेतु स्वीकृत परिनियत संकल्प

(i) डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 22 दिसम्बर, 2016 को प्रख्यापित शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) पांचवां अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन संबंधी संकल्प *(अस्वीकृत)*

(ii) डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 30 दिसम्बर, 2016 को प्रख्यापित विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 10) का निरनुमोदन संबंधी संकल्प *(उपस्थित नहीं किया गया)*

(iii) डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4 मई, 2017 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन संबंधी संकल्प *(अस्वीकृत)*

(iv) कतिपय वस्तुओं पर मूल सीमाशुल्क (बी सी डी) में वृद्धि करने के लिए अधिसूचना सं.56/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 [सा. का.नि. 797(अ) दिनांक 30 जून, 2017] के अनुमोदन के संबंध में वित्त, कार्पोरेट कार्य और रक्षा मंत्री द्वारा उपस्थित संकल्प *(स्वीकृत)*

(v) डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 23 नवम्बर, 2017 को प्रख्यापित भारत वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 6) का निरनुमोदन संबंधी संकल्प *(अस्वीकृत)*

(vi) डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 23 नवम्बर, 2017 को प्रख्यापित दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 7) का निरनुमोदन संबंधी संकल्प *(वापस लिया गया)*

(vii) डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 सितम्बर, 2017 को प्रख्यापित माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 5) का निरनुमोदन संबंधी संकल्प *(उपस्थित नहीं किया गया)*

(viii) कतिपय वस्तुओं पर मूल सीमाशुल्क की दर में वृद्धि करने के लिए अधिसूचना सं.80/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 27 अक्तूबर, 2017 [सा.का.नि. 1339 (अ) दिनांक 27 अक्तूबर, 2017] के अनुमोदन के संबंध में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला द्वारा उपस्थित संकल्प *(स्वीकृत)*

(ix) कतिपय मदों पर मूल सीमाशुल्क की दर में वृद्धि करने के लिए अधिसूचना सं.88/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 [सा.का.नि. 1431 (अ) दिनांक 17 नवम्बर, 2017] के अनुमोदन के संबंध में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला द्वारा उपस्थित संकल्प *(स्वीकृत)*

(x) कतिपय वस्तुओं पर मूल सीमाशुल्क (बी सी डी) की दर में वृद्धि करने के लिए अधिसूचना सं.91/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 [सा.का.नि. 1514 (अ) दिनांक 14 दिसम्बर, 2017] के अनुमोदन के संबंध में वित्त मंत्री, कार्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा उपस्थित संकल्प *(स्वीकृत)*

2017 के दौरान राज्य सभा में विचारार्थ लिए जाने हेतु स्वीकृत सरकारी संकल्प

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी एस आई) में फोटोग्राफर के पद के लिए रू. 1400-2300 के उच्चतर वेतनमान के संबंध में 1992 का सी. ए. संदर्भ सं. 1 *(उपस्थित नहीं किया गया)*

(ii) वित्त मंत्री द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ते के नियमों के संशोधन के संबंध में 2004 का सी. ए. संदर्भ सं. 3 *(उपस्थित नहीं किया गया)*

(iii) वित्त मंत्री द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिए जाने के संबंध में 2002 का सी. ए. संदर्भ सं. 2 *(उपस्थित नहीं किया गया)*

(iv) वित्त मंत्री द्वारा रोकड़ा संभालने का काम करने वाले डाकघर कर्मियों को एक नियमित उपाय के रूप में रोकड़ संभाल भत्ता दिए जाने के संबंध में 1993 का सी. ए. संदर्भ सं.5 *(उपस्थित नहीं किया गया)*

(v) वित्त मंत्री द्वारा संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी और अनिवार्य विवाचन योजना के पैरा 21 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को 1.4.1989 से प्रति कर्मचारी 30/- रु. प्रतिमाह की दर से परिवहन राजसहायता प्रदान किए जाने के संबंध में 1988 का सी. ए. संदर्भ सं. 1 *(उपस्थित नहीं किया गया)*

उपाबंध VI

वर्ष 2017 के दौरान राज्य सभा की समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

प्रतिवेदनों की सं.	विषय	
	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	*(कुल :4)*
230वां	240वें सत्र के दौरान राज्य सभा के सभा पटल पर रखे गए सांविधिक आदेशों के संबंध में प्रतिवेदन	
231वां	(i) खादी और ग्राम उद्योग आयोग विनियम, 2007; और (ii) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम-राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 220 वें प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के संबंध में प्रतिवेदन	
232वां	241वें सत्र के दौरान राज्य सभा के सभा पटल पर रखे गए सांविधिक आदेशों के संबंध में प्रतिवेदन	
233वां	विमुद्रीकरण के संबंध में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संबंध में प्रतिवेदन	
	याचिका समिति	*(कुल: 2)*
153वां	देश में कार्डिएक स्टेंट्स और अन्य चिकित्सा उपकरणों की अत्यधिक कीमतों को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने की प्रार्थना करने वाली याचिका (भाग-1)	
154वां	सड़क पर वाहन चालकों के आवेशपूर्ण व्यवहार से संबंधित अपराधों के लिए पृथक विधान के अधिनियम की प्रार्थना करने वाली याचिका	
	आश्वासनों संबंधी समिति	*(कुल:1)*
71वां	241वें, 242वें, 243वें और 244वें सत्रों के दौरान सभा पटल पर रखे गए आश्वासनों का कार्यान्वयन/ आश्वासनों को छोड़ देने और उनकी समयावधि बढ़ाने हेतु अनुरोध, समिति का अध्ययन दौरा, आदि	
	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	*(कुल:3)*
150वां	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कारपोरेशन लिमिटेड (आई.आर.सी.टी.सी.); केंद्रीय भण्डारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.); और भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को विलम्ब से रखे जाने के संबंध में प्रतिवेदन	
151वां	केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.), वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वी.वी.जी.एन.एल.आई.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आई.जी.आर.यू.ए.) और राष्ट्रीय बाल भवन (एन.बी.बी.) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को विलम्ब से रखे जाने के संबंध में प्रतिवेदन	
152वां	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एन.बी.टी.), राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सी.जेड.ए.) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को विलम्ब से रखे जाने के संबंध में प्रतिवेदन	

	नियम समिति	
	शून्य	
	विशेषाधिकार समिति	*(कुल: 1)*
65वां	नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सभा पटल पर रखे जाने से पहले कथित रूप से समय पूर्व प्रकटन से उत्पन्न विशेषाधिकार हनन के मामले के संबंध में प्रतिवेदन	
	आवास समिति	
	शून्य	
	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास समिति	
	शून्य	
	आचार समिति	
	शून्य	
	विभाग-संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति	*(कुल:8)*
132वां	वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
133वां	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
134वां	बदलते वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक नीति के संबंध में समिति के 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
135वां	वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान माँगों (2017-18) के संबंध मे समिति के 132वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
136वां	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान माँगों (2017-18) के संबंध मे समिति के 133वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समुक्तियों /सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
137वां	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) के साथ व्यापार	
138वां	मसाला बोर्ड के कार्यकलाप और कार्यकरण	
139वां	माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का निर्यात पर प्रभाव	
	विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति	*(कुल: 6)*
199वां	गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों (2016-17) के संबंध में समिति के 197वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समुक्तियों /सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
200वां	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों (2016-17) के संबंध में 196वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
201वां	गृह मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-2018)	
202वां	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
203वां	सीमा सुरक्षा : क्षमता निर्माण और संस्थाएं	
204वां	संघराज्य क्षेत्र लक्षद्वीप का प्रशासन और विकास	

	विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति	***(कुल: 7)***
99वां	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदान मांगें (2017-2018)	
100वां	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदान मांगें (2017-2018)	
101वां	'आयुष' मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-2018)	
102वां	सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016	
103वां	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदान मांगों (2017-18) से संबंधित समिति के 99वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
104वां	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदान मांगों (2017-18) से संबंधित समिति के 100वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
105वां	'आयुष' मंत्रालय की अनुदान मांगों (2017-18) से संबंधित 101वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
	विभाग-संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति	***(कुल : 9)***
284वां	भारत में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के समक्ष मुद्दे और चुनौतियां	
286वां	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगें (2016-17) से संबंधित समिति के 277वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
287वां	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
288वां	उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदान मांगें (2017-18)	
289वां	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
290वां	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदान मांगें (2017-18)	
291वां	राष्ट्रीय खेल विकास निधि का निष्पादन और खिलाड़ियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में समिति के 270वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई (भाग-I)	
292वां	राष्ट्रीय खेल विकास निधि का निष्पादन और खिलाड़ियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में समिति के 271वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई (भाग II)	
293वां	राष्ट्रीय खेल विकास निधि का निष्पादन और खिलाड़ियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में समिति के 281वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई (भाग III)	
	विभाग संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति	***(कुल: 6)***
280वां	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
281वां	भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
282वां	लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
283वां	लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2017-18) पर समिति के 282वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
284वां	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदान मांगों (2017-18) पर उसके 280वें प्रतिवेदन में समिति की सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
285वां	भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदान मांगों (2017-18) पर समिति के 281वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	

	विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति	*(कुल: 7)*
88वां	विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदान मांगों (2016-17) पर समिति के 84वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
89वां	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2016-17) पर उसके 85वें प्रतिवेदन में समिति की सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
90वां	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
91वां	विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
92वां	सरकार के अधीन सिविल सेवकों का मूल्यांकन और पैनलबद्ध किया जाना	
93वां	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2017-18) पर समिति के 90वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
94वां	विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदान मांगों (2017-18) पर समिति के 91वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	
	विभाग संबंधित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति	*(कुल: 8)*
294वां	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
295वां	जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान मांगें (2017-18)	
296वां	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान मांगें (2017-18)	
297वां	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदान मांगें (2017-18)	
298वां	अंतरिक्ष विभाग की अनुदान मांगें (2017-18)	
299वां	परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदान मांगें (2017-18)	
300वां	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
301वां	अनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलें और पर्यावरण पर इनका प्रभाव	
	विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति	*(कुल: 13)*
243वां	मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016	
244वां	नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
245वां	संस्कृति मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
246वां	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
247वां	पोत परिवहन मंत्रालय का अनुदान मांगों (2017-18)	
248वां	पर्यटन मंत्रालय की अनुदान मांगें (2017-18)	
249वां	वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016	
250वां	महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016	
251वां	नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2017-18) पर समिति के 244वें प्रतिवेदन में की गई समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	

252वां	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों (2017-18) पर समिति के 246वें प्रतिवेदन में की गई समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
253वां	पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2017-18) पर समिति के 247वें प्रतिवेदन में की गई समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
254वां	संस्कृति मंत्रालय की अनुदान मांगों (2017-18) पर समिति के 245वें प्रतिवेदन में की गई समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
255वां	पर्यटन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2017-18) पर समिति के 248वें प्रतिवेदन में की गई समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई